

--::महत्वपूर्ण सूचना::--

## "MOP UP ROUND COUNSELLING"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.8.2017 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा दायर एस.एल.पी.क्रमांक (सी) 22438/2017 एवं 22439/2017में दिनांक 29.8.2017 पारित आदेश के परिपालन में राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू.जी. 2017 के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय चरण में एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रम के लिये स्टेट कोटा की आवंटित सीटों पर प्रवेश के पश्चात् यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो उन रिक्त सीटों पर "MOP UP ROUND COUNSELLING" द्वितीय चरण की स्क्रीनिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया के पश्चात् दिनांक 7.9.2017 को संबंधित संस्थाओं में की जायेगी । MOP UP ROUND हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता एवं अपात्रता काउंसिलिंग प्रक्रिया में उल्लेखानुसार होगी । इस हेतु जानकारी संचालनालय की वेबसाईट एवं पोर्टल पर समय समय पर उपलब्ध कराई जायेगी । अतः अभ्यर्थी एम.पी.आन लाईन पोर्टल एवं संचालनालय की वेबसाईट के सतत संपर्क में रहे ।

यह प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में मध्यप्रदेश शासन द्वारा काउंसिलिंग के लिये अतिरिक्त समय प्रदायकरने हेतु दायर आई.ए. 802, 803/2017 in SLP (C) 22438-22439/2017 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश